कार्यालय प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

क्र. 1794 /पु./2022 ग्वालियर, दिनांक 16/9/22

पुस्तकें क्रय हेतु निविदा (विज्ञप्ति)– वर्ष/सत्र 2022–23

वर्ष/सत्र 2022–23 मे इस महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु विभिन्न मदों से पुस्तकें–क्रय की जानी है, इस हेतु प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई शा.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.) के नाम से निविदाएँ/भावपत्र आमंत्रित किए जाते है। इच्छुक प्रकाशक/पुस्तकें विक्रेता अपनी निविदा/भावपत्र मे डिस्काउंट (छूट की दरें) विवरण अनुसार निर्धारित फॉमेट मे निम्नांकित बिन्दुओं (स.क्र. 1 से 10 तक) के लिए स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए (निविदा) सील बन्द लिफाफे मे अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भेजे/प्रस्तुत करें। म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की विभागीय वेबसाइट पर पुस्तकें क्रय हेतु निविदा (विज्ञप्ति) वर्ष/सत्र 2022–23 के प्रकाशन दिनांक/दिन सहित 15 दिवस में महाविद्यालय में आपकी निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। लिफाफें पर पुस्तकें क्रय हेतु निविदा (विज्ञप्ति) वर्ष/सत्र 2022–23 अंकित होना आवश्यक है। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त निविदा/भाव पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।

क्र.	विवरण प्रपत्र	डिस्काउंट/छूट की दर (%)
1	नवीन पाठ्यक्रमानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर वार्षिक/सेमेस्टर पाठ्यक्रम की पुस्तकें	
2	भारतीय प्रकाशन की पुस्तकें	
3	विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें	
4	संदर्भ पुस्तकें कहानी/उपन्यास/आलोचनात्मक साहित्य (हिंदी/अंग्रेजी/संस्कृत) की पुस्तकें	
5	शासकीय प्रकाशन की पुस्तकें	
6	ई–बुक्स – नवीन पाठ्यक्रमानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की (सी.डी. फॉर्म मे संलग्न करे)	
8	स्वयं के प्रकाशन (प्रकाशन सूची संलग्न करना अनिवार्य)	
9	प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें	
10	विधिः– BA.LLB.(5YDC), LLB(3YDC),एवं LLM,CLA,CLP Etc. प्रकाशन की पुस्तकें	

नियम/शर्ते

1. लिफाफे पर पुस्तक क्रय हेतु निविदा वर्ष/सत्र 2022–23 अवश्य अंकित करे।
2. निविदा की वैधता 30.06.2023 तक (मान्य) होगी।
3. पुस्तकें नवीन संस्करण की एवं अच्छी हालत की हों,कटी–फटी पुस्तके स्वीकार नही की जावेगीं।
4. महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा निविदाओं के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् विभिन्न प्रकाशनों के लिए निर्धारित स्वीकृत छूट की दरों पर ही प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दिनांक तक आदेश की पूर्ति करना होगी।
5. उपर्युक्त निर्धारित विवरण प्रपत्र के अनुसार ही डिस्काउंट/छूट की दरें अंकित की जाने पर मान्य होगी।
6. पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होगा एवं स्टीकर लेवल मान्य नही है।
7. निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग का **GST** पंजीयन क्रमांक एवं बैंक खाता क्रमांक(IFSC Codeसहित) व पेन नम्बर अवश्य अंकित करे।
8. निविदा मे अपना फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर व ई–मेल एड्रेस अवश्य अंकित करे।
9. महाविद्यालय तक पुस्तकें पहुचाने का समस्त दायित्व आपका ही होगा, किसी भी प्रकार का वाहन भाडा इत्यादि महाविद्यालय द्वारा वहन नही किया जावेगा, यानि पुस्तकें एफ.ओ.आर./एफ.ओ.टी. भेजे।
10. सील बन्द निविदा–पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजने पर ही मान्य की जावेगीं।
11. किसी भी विवादास्पद की स्थिति निर्मित होने पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम, सर्वोपरि होगा एवं न्याय क्षेत्र ग्वालियर (म.प्र.) होगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

16/09/22
प्राचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई शा. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

पृ.क्र. 1794 /2022 ग्वालियर,दिनांक 16-09-2022

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन,सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि, उक्त पुस्तक क्रय निविदा विज्ञप्ति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइड पर अतिशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा करें।

पुस्तकालयाध्यक्ष

16/09/22
प्राचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई शा. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

PRINCIPAL
M.L.B. ARTS & COMMERCE COLLEGE
Govt. Autonomous And Excellence College
Gwalior (M.P.)

Scanned by TapScanner

कार्यालय प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

क्र. 1795/पु./2022 ग्वालियर, दिनांक 16/9/22

स्टेशनरी क्रय हेतु निविदा (विज्ञप्ति) वर्ष/सत्र 2022–23

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार, वर्ष/सत्र 2022–23 के लिए महाविद्यालय मे नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत रूपयें 500/– (पॉच सौ मात्र) प्रति विद्यार्थी की दर से स्टेशनरी सेट क्रय हेतु निविदा/भाव पत्र आमंत्रित किये जाते है। निविदा/भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होना चाहिए। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। निविदा/भाव पत्र निम्न विवरण (निर्धारित फॉर्मेट) के साथ म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन के दिनांक/दिन सहित 15 दिवस में महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सील बन्द लिफाफे मे कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदा/भाव पत्रों पर विचार नही किया जावेंगा।

क्रं.	सामग्री का नाम	सामग्री दर	नग	G.S.T. (%)प्रतिशत	G.S.T. राशि	कुल राशि
1	लॉग अभ्यास कॉपी (180 पृष्ठ कवर सहित) ए–4 साइज (White Paper)					
2	लॉग अभ्यास कॉपी (84 पृष्ठ कवर सहित) ए–4 साइज (White Paper)					
3	लॉग अभ्यास कॉपी (40 पृष्ठ कवर सहित) ए–4 साइज (White Paper)					
4.	बॉलपेन (दरः रू. 5/– प्रतिनग)					

निविदा शर्तेः–

1. लिफाफे पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थीयों को **निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय हेतु निविदा वर्ष/सत्र 2022–23** अवश्य लिखें।
2. निर्धारित की गई शर्तो का अवलोकन एवं अध्ययन करने के उपरान्त निर्धारित फार्मेट में ही दरें अंकित कर प्रस्तुत करें। निर्धारित फार्मेट के अतिरिक्त अन्य प्रकार से सामग्री की दरें प्रस्तुत किए जाने पर निविदा मान्य नही की जावेगी अर्थात अमान्य कर दी जावेगी।
3. निविदाकार को निर्धारित फॉर्मेट मे दर्शायी नमूने के अनुसार ही सामग्री, समयसीमा में भेजनी होगी, उक्त गुणवत्ता के अनुसार सामग्री प्रदाय न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं उक्त सामग्री अस्वीकार करते हुए संबंधित फर्म से अन्य कोई पत्र व्यवहार नही किया जावेगा।
4. निविदा के साथ सामग्री के नमूने पर निविदाकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर एवं फर्म की सील आवश्यक रूप से अंकित की जाना चाहिए। तभी सामग्री के नमूने पर विचार किया जावेगा।
5. शासन के नियमानुसार आदेशित सामग्री के 02 नमूनार्थ सेट भी सामग्री के साथ पृथक से प्रदाय करने होगे।
6. भाव पत्र में जीवित **GST No, PAN No, Bank A/c No , IFSC Code & Mobile No.** का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. भुगतान ई–पद्वति से किये जाने हेतु देयकों पर बैंक खाता संबंधित सभी जानकारी अंकित होनी चाहिए।
8. सामग्री F.O.R./F.O.T. महाविद्यालय को उपलब्ध कराना होगी। किसी भी प्रकार का भाडा इत्यादि महाविद्यालय द्वारा वहन नही किया जावेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2022–23 मे देयक का भुगतान शासनादेश एवं बजट प्राप्त होने पर ही किया जावेगा।
10. निःशुल्क स्टेशनरी के सेट 500/–रू. प्रतिविद्यार्थी लेमीनेशन पेकिंग सहित प्रदाय करना होगें।
11. म.प्र. भण्डार एवं उद्योग विकास विभाग के आदेश क्रं. एफ–14/2012/अ–11 दिनांक 28.07.2015 द्वारा जारी नवीनतम म.प्र. भण्डार एवं सेवा उपार्जन नियम–2015 के तहत स्टेशनरी आदेश प्रदाय किये जायेगे।
12. निविदा की वैधता 30/06/2023 तक ही मान्य होगी।
12. किसी भी विवादास्पद स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा एवं न्याय क्षेत्र, ग्वालियर होगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

16/09/22
प्राचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई शा. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

पृ.क्र. 1795 /2022 ग्वालियर,दिनांक 16-09-2022

प्रतिलिपि :– माननीय आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन,सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि, उक्त पुस्तक क्रय निविदा विज्ञप्ति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइड पर अतिशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा करें।

पुस्तकालयाध्यक्ष

16/09/22
प्राचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई शा. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

PRINCIPAL
M.L.B. ARTS & COMMERCE COLLEGE
Govt. Autonomous And Excellence College
Gwalior (M.P.)

Scanned by TapScanner